FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनांक 19-11-2025 कुर्की थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।**
- **इसी क्रम में आज दिनांक 19-11-2025 को थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित गैंग लीडर अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल निवासी सिकेरा थाना मटसैना, हाल निवासी केदारी कॉलोनी जसलई रोड शिकोहाबाद द्वारा लगातार अपराध कर अर्जित की गई 39,13,080 रूपये (कुल 39 लाख 13 हजार अस्सी रुपये) की चल / अचल संपत्ति को आज धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया गया है।**
- **कल दिनांक 18-11-2025 को गैंगलीडर अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश की 16,57,548 रूपये (16 लाख 57 हजार पाँच सौ अड़तालीस रूपये) रूपये की अचल सम्पत्ती को किया जा चुका है कुर्क।**
- **इस प्रकार गैंडलीडर अभियुक्त की कुल 55,70,628 रूपये (55 लाख 70 हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये) की सम्पत्ती को कुर्क किया गया है।**
- **गैंगस्टर एक्ट में नामजद गैंग लीडर अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल व उसके साथियों द्वारा द्वारा फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर धांधली करना, अवैध वसूली, ठगी, दस्तावेज फर्जीवाड़ा आदि अपराधों से भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित कर चल/अचल संपत्तियाँ खरीदी गईं थी।**
- **अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश द्वारा 2024 मे उ0प्र0 पुलिस में सिपाही की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्बर बैठाकर षडयन्त्र के तहत लिखित परीक्षा करना व संगठित अपराध कारित करना पाया गया था।**
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल निवासी सिकेरा थाना मटसैना, हाल निवासी केदारी कॉलोनी जसलई रोड शिकोहाबाद फिरोजाबाद की **39,13,080 रूपये (कुल 39 लाख 13 हजार अस्सी रुपये) की चल / अचल संपत्ति को आज धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। कल दिनांक**

18-11-2025 को गैंगलीडर अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश की 16,57,548 रूपये (16 लाख 57 हजार पाँच सौ अड़तालीस रूपये) रूपये की अचल सम्पत्ती को किया जा चुका है कुर्क । इस प्रकार गैंडलीडर अभियुक्त की कुल 55,70,628 रूपये (55 लाख 70 हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये) की सम्पत्ती को कुर्क किया गया है ।

गैंग लीडर अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल निवासी सिकेरा थाना मटसैना, हाल निवासी केदारी कॉलोनी जसलई रोड शिकोहाबाद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 377/2017 धारा 147/323/324/325/506 भादवि थाना मटसैना फिरोजाबाद।

2. मु0अ0सं0 494/2017 धारा 147/323/452/504/506 भादवि थाना मटसैना फिरोजाबाद।

3. मु0अ0सं0 85/2024 धारा 420/457/468/471/34/201 भादवि व 66D आईटी एक्ट थाना शिकोहाबाद

4. मु0अ0सं0 350/2024 धारा 318(4)/316(2) BNS थाना ट्रांस यमुना, आगरा

5. मु0अ0सं0 268/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद।

गैंग लीडर अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल की अवैध रुप से अर्जित चल / अचल सम्पत्ति की कुर्क का विवरणः-

क्र0सं0	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रू0 में)
1	अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल	आवासीय मकान मौजा सिकहरा, खाता संख्या 220 के गाटा संख्या 31 रकवा 0.023 व गाटा संख्या 33 रकवा 0.023 है0, कुल 0.046 है0 में स्थित मकान	38,28,280
2	अखिलेश उर्फ अखलेश पुत्र शम्भूदयाल	मोटर साइकिल (बुलेट) UP83BA7635	85,000
कुल योग			**39,13,080 रूपये (कुल 39 लाख 13 हजार अस्सी रुपये)**

नोटः-अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश की आज दिनांक 19-11-2025 को 39,13,080 रूपये (कुल 39 लाख 13 हजार अस्सी रुपये) की चल / अचल संपत्ति व दिनांक 18-11-2025 को गैंगलीडर अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखलेश की 16,57,548 रूपये (16 लाख 57 हजार पाँच सौ अड़तालीस रूपये) रूपये की अचल सम्पत्ती इस प्रकार कुल को किया जा चुका है कुर्क ।इस प्रकार गैंडलीडर अभियुक्त की कुल 55,70,628 रूपये (55 लाख 70 हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये) की सम्पत्ती को कुर्क किया गया है ।